भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GN 326325

शपथ पत्र (प्रारुप-अ)

मै छत्रबली सिंह प्रधान ट्रस्टी स्व0 रामविलास सिंह शिक्षण संस्था ट्रस्ट, पता-S 24/11-R-O-V-S मारकण्डेश्वर नगर टकटकपुर, वाराणसी शपथपूर्वक निम्नवत बयान करता हू-

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा **स्वर्गीय रामविलास सिंह शिक्षण संस्था फार्मेसी कालेज**, ग्राम-विजयपुरवां, पोस्ट-सिकन्दरपुर,तहसील-चकिया,जिला-चन्दौली नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम स्व0 रामविलास सिंह शिक्षण संस्था विजयपुरवां, सिकन्दरपुर में गाटा संख्या 58,59,62,61,63 एवं 57ख रकबा क्रमशः 0.3290,0.2280,0.2620,0.2330,0.7180 एवं 0.2530 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.0230 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 58,59,62,61,63 एवं 57ख रकबा क्रमशः0.3290,0.2280,0.2620,0.2330,0.7180 एवं 0.2530 (कुल रकबा 2.0230 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 13/08/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवन पर ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमी व इस पर निर्मित भवनो में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान /विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम,प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भली-भांति पालन करुँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13 मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी,कुटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0/प्रधान ट्रस्टी

NOTARY GOVT. OF U.P.

Oathed by deponent before me and cancelled by Advocate Mr. P.K. Goel
Shyamnarayan Singh Ad.
Notary Govt. of U.P.
REGD. 25(28)2008

01/09/23

1/9/2023